

सीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/बी3-108/16 श्र0सं0-
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

192

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना ।

पटना, दिनांक-28.3.17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-102-कार्य की परिस्थितियाँ और सुरक्षा-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0002-कारखानों के निरीक्षक (विपत्र कोड-एन 2230011020002) के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

- उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल, पटना को उनके पत्रांक-138 दिनांक-21.03.17 के आलोक में परिवहन भत्ता इकाई (01 05) में ₹ 8,000/- (आठ हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।
2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0दिनांक-31.3.16, पत्रांक-4572/वि. दिनांक-03.06.16 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.4.98 के आलोक में है।
 3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
 4. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
 4. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी.भी. नं. तथा तिथि के साथ निश्चित रूप से विभाग को निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दें ।
 5. यह आवंटन गैर योजना मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

28/3/17
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/बी3-108/16 श्र0सं0

192

पटना, दिनांक 28.3.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

28/3/17
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/बी3-108/16 श्र0सं0

192

पटना, दिनांक 28.3.17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/17
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।